न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 46/2018
प्रविष्टि दिनांक — 24–5–2018

श्योनारायण पुत्र नेहनू गुर्जर निवासी ग्राम–ठीकरिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 15–2–2018 मिसल नम्बर 1446/2018

उपस्थिति : (1) श्री बनवारी लाल शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय — **दिनांक 20–1–2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 15–2–2018 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 216/214 रकबा 1.03 है0,वाके ग्राम इब्राहीमनगर की किस्म सिवायचक भूमि पर फसल काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 103/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9–12–2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि खसरा नम्बर 216/214 रकबा 1.03 है0,वाके ग्राम इब्राहीमनगर की किस्म सिवायचक भूमि पर फसल काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल [illegible]3/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से [illegible] का आदेश दिया है जो तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करते हुए [illegible] किये एवं अपीलान्ट को [illegible]सफाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो [illegible] विधान एंव तथ्यों के [illegible] होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

से अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने किसी रंजिश के कारण अपीलान्ट के विरूद्व झूठी शिकायत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी ओर उस रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सच्चाई की जॉच किये कार्यवाही करते हुए उक्त दण्डादेश पारित किया है। अपीलान्ट को निर्णय से पूर्व सुने बिना एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाएँ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अपील प्रार्थना पत्र के साथ दफा–5 का प्रार्थना पत्र अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 216/214 रकबा 1.03 है0,वाके ग्राम इब्राहीमनगर की किस्म सिवायचक भूमि पर फसल काश्त करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 2291 निर्णय दिनांक 17–3–2016 से बेदखल किया गया था एंव पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथो एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 216/214 रकबा 1.03 है0,वाके ग्राम इबाहीमनगर तहसील उनियारा की भूमि पर फसल काश्त अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 2291 दिनांक 17–3–2016 से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है ओर राजकीय भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 15–2–2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते